प्रेस नोट
दिनांक 30.03.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 49/25, धारा 109 बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों- 01. रंजीत कुमार यादव, 02. अभय सिंह उर्फ रितिक सिंह, 03. गुलशन सिंह को चैनापुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत भारत पेट्रोलियम के कुछ आगे बहद ग्राम छिरास मुख्य मार्ग के पास गोण्डा से स्क्रैप का माल लाद कर पंजाब जा रहे डीसीएम चालक के ऊपर बुलेट सवार अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी। जिससे एक गोली चालक के दाहिने हाथ के हथेली पर लगी थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वादी छेदीलाल पुत्र छांगुर निवासी नकही मौजा भरथा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना कौड़िया में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोंडा का घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 30.03.2025 को थाना कौड़िया की पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दोषी पाए गए 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. रंजीत कुमार यादव, 02. अभय सिंह और रितिक सिंह, 03. गुलशन सिंह को चैनापुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त अभय सिंह उर्फ रितिक सिंह व गुलशन सिंह कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि डीसीएम चालक छेदीलाल पुत्र छांगुर द्वारा पूर्व में अभियुक्त अभय सिंह उर्फ रितिक सिंह व गुलशन सिंह से कबाड़ का सामान लिया गया था। करीब तीन माह पूर्व अभियुक्त गण अपना पैसा मांगने चालक के घर गए थे। तभी डीसीएम चालक द्वारा अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर अभियुक्तगणों के साथ
हाथापाई की गई थी। इसी बात को लेकर अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 28.03.2025 को उक्त घटना को अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रंजीत कुमार यादव पुत्र हरिराम निवासी ग्राम नकही भरथा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. अभय सिंह उर्फ रितिक सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी पूरे पकहन पुरवा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. गुलशन सिंह पुत्र श्री चंद्र सिंह निवासी बरौली पूरे कलहंस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-49/25, धारा 109 बीएनएस बढ़ोतरी धारा 191(2),191(3),61(2) बीएनएस, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

02 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी।

02. उ0नि0 धर्मेंद्र यादव।

03. हे0का0 राकेश यादव।

04. हे0का0 विनोद यादव।

05. का0 विनीत प्रसाद।

मीडिया सेल, गोण्डा।